

संशोधित कोटेसन की शर्तें:-

1. कोटेसन मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
2. त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित अवधि के बाद कोटेसन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. कोटेसनदाता को निम्न सामानों के आपूर्ति का 2 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कोटेसनदाता को PAN CARD तथा GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. कोटेसनदाता के सामानों की आपूर्ति के उपरांत वारंटी / गारंटी अवधि में कोई त्रुटि या खराबी पाए जाने पर शीघ्र मरमती करवाना होगा। उक्त quality का ही दूसरा सामान देना होगा। उक्त quality का ही दूसरा सामान वारंटी / गारंटी अवधि में बनवाने या मरमती करवाने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
6. किसी भी कोटेसन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार उधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. किसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पटना 800013 के कार्यालय से सम्पर्क अथवा संस्थान के वेबसाइट www.umsas.org.in पर देखा जा सकता है।
8. दिनांक 23.09.2022 को 3 बजे अप० तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यालय में 3 बजे अप० को सभी कोटेसनदाता अथवा प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्देशक संस्थान के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।

६०

निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,

पटना।

ज्ञापांक1236..... / पटना, दिनांक19-9-2022.....

प्रतिलिपि- उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु) एवं श्री राहुल कुमार, IT/MIS Expert (EPCH), उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को निर्देश दिया जाता है की उपरोक्त निविदा / कोटेशन को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

10

निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,

पटना।